उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-39/2018/458/92-2-2018-14जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 22 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के कार्यकाल के दौरान कार्यालय परिसर में लगे पेडो को अनियमित ढंग से कटवाने की अनियमितता में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-66/2016/46मं0आ0/92-2-16-14जांच/2016 दिनांक 20-10-2016 श्री बृजेश कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-31/2017/18/92-2-17-14जांच/2016 दिनांक 28-02-2017 के द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। पुन: सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-75/2017/770/92-2-17-14जांच/2016 दिनांक 18-05-2017 द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1164/ वि0 स0ग्रा0अ0वि0/कैम्प/2017 दिनांक 24-08-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री बृजेश कुमार दूबे पर अधिरोपित कुल 6 आरोपों में से आरोप सं0- 2 व 3 सिद्व नही पाया गया तथा आरोप संख्या-1, 4, 5 व 6 सिद्व पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1551/92-2-17-14जांच/2016 दिनांक 05-10-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 09-11-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर सिद्व पाये गये आरोप निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

आप द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी परिसर में लगे पेडो की नीलामी से संबंधित अभिलेख एवं नीलामी से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने से संबंधित अभिलेख प्रखण्डीय कार्यालय में उपलब्ध नही पाये गये। आप द्वारा तत्कालीन अवर अभियंता (स्टोर) को पेडो की नीलामी/कटाई से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया गया। आप द्वारा पेडो के मूल्यांकन, नीलामी एवं कटाई की प्रक्रिया तत्कालीन सहायक अभियंता (स्टोर) श्री एस0 के0 सिंह के साथ गुपचुप तरीके से नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण किये बिना ही की गयी एवं प्राप्त धनराशि को विभागीय कैशियर के माध्यम से राजकोष में जमा नही कराया गया, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-4

उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-ए-2-1602/10-95-24(14)/95 दिनांक 01-06-1995 द्वारा निर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के अंतर्गत अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार रू0 10,000;00 की सीमा तक ही दिये गये है। आप द्वारा उक्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हुये रू0 19,050/- की धनराशि के वृक्षों की नीलामी अपने अधीनस्थ तत्कालीन सहायक अभियंता (स्टोर) से करायी गयी, जबकि सहायक अभियंता को वृक्षों की नीलामी कराने का कोई अधिकार नही है। उक्तानुसार वित्तीय अधिकारों के अतिक्रमण हेतु आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या-5

आपने अपने स्पष्टीकरण संबंधी पत्र सं0-1746/दिनांक 10-03-2016 द्वारा अवगत कराया है कि तत्कालीन सहायक अभियंता (स्टोर) श्री एस0के0 सिंह द्वारा ही सम्पूर्ण कार्यवाही कर नीलामी से प्राप्त धनराशि रू0 37,500/- दि0 27-01-2016 को चालान द्वारा कोषागार में जमा कराया गया। उक्त धनराशि प्रखण्डीय कार्यालय के माध्यम से न जमा कर, सीधे कोषागार में जमा की गयी। इसके अतिरिक्त आप द्वारा नीलामी से प्राप्त धनराशि शिकायती पत्र दिनांक 04-01-2016 के उपरांत लगभग 01 वर्ष 05 माह बाद जमा करायी गयी, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रसतर-152 में निहित व्यवस्था का उल्लंघन है एवं धनराशि को हडपने की मंशा को इंगित करता है, जिसके लिये आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या-6

आप द्वारा सहायक अभियंता (स्टोर) श्री एस0के0 सिंह के साथ दुरभि संधि कर शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का अतिक्रमण किया गया एवं नीलामी की कार्यवाही भी संदिग्ध पायी गयी तथा कूटरचना कर नीलामी संबंधी अभिलेख स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत किये गये एवं पेडो की नीलामी से प्राप्त धनराशि के गबन का प्रयास किया गया, जिससे आपकी कदाशयता परिलक्षित होती है। उक्तानुसार उ0प्र0 सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली के प्रसतर-3-क का अनुपालन न करने के लिये आप उत्तरदायी है।

3- अपचारी अधिकारी, श्री बृजेश कुमार दूबे पर अधिरोपित आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री बृजेश कुमार दूबे को उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20-10-2016 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को निम्नवत "**परिनिन्दा**" का दण्ड देते हुये एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

" ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी के कार्यकाल के दौरान कार्यालय परिसर में लगे पेडो को अनियमित ढंग से कटवाने की गम्भीर लापरवाही एवं अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति सजग न रहने के दृष्टिगत श्री बृजेश कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी को **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-39/2018/458/(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री बृजेश कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।